



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर-452001

दिनांक : 22 MAY 2025

क्रमांक : सं.वि.क./विद्यालक्ष्मी/2025-26/358

प्रति,
विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी,
समस्त अध्ययनशालाएं/केन्द्र/संस्थान,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर,
खंडवा रोड़, इंदौर

विषय: 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में अपेक्षित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भ: 39-2/2025-CSIS भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति प्रभाग तिथि 22 अप्रैल, 2025 व ज्ञाप में संशोधन हेतु पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2025।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति प्रभाग, नई दिल्ली के संलग्न ज्ञाप व इस ज्ञाप में दिनांक 30 अप्रैल 2025 को किये गये संशोधन अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में आवश्यक क्रियान्वयन किया जाना है।

इस संबंध में माननीय सचिव महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों में नये सत्र में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को जारी किये जाने वाले आवेदन पत्र में निम्नांकित पैराग्राफ में निर्दिष्ट जानकारी समाविष्ट किये जाने का उल्लेख कर, आगामी सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस संबंध में अवगत कराने हेतु आवश्यक प्रयत्न किये जाने की अपेक्षा की गई है:

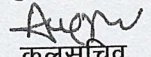
वित्तीय सहायता और छात्र ऋण भारत सरकार की पहल, पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना, बिना गारंटर और बिना संपत्ति सुरक्षा के शिक्षा ऋण प्रदान करती है। यह योजना संस्थान में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं। इस हेतु आप <https://pmvidyalaxmi.co.in> पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल किसी भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लेता है। इस पोर्टल के माध्यम से आप:

- विभिन्न बैंकों में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - बिना गारंटर और बिना संपत्ति सुरक्षा के शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
 - योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www-education.gov.in> पर उपलब्ध योजना दिशानिर्देश देख सकते हैं। इस योजनांतर्गत टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-1031 जारी किया गया है।

उपरोक्त जानकारी को विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और इसे प्रवेश पुस्तिका/प्रवेश ब्राउशर का हिस्सा बनाये जाने के संबंध में आवश्यक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न: संदर्भित ज्ञाप व संशोधन पत्र

माननीय कुलगुरु के आदेशानुसार,


कुलसचिव

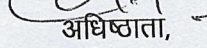
प्रतिलिपि:-

पृ. क्र: सं.वि.क./विद्यालक्ष्मी/2025-26/358

दिनांक : 22 MAY 2025

प्रति,

- 1 विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु माननीय कुलगुरु द्वारा गठित व पत्र क्र. विकास/प्रवेश प्रकोष्ठ-2024/184 दिनांक 08.01.2024 द्वारा अधिसूचित, प्रवेश प्रकोष्ठ, के समस्त माननीय अध्यक्ष/सदस्य/सेक्रेटेरियल सपोर्ट स्टाफ की ओर प्रस्तुत कर आवश्यक संज्ञान लेकर उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने बाबत।
2. आय.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड़, इंदौर की ओर प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एवं आवश्यक जानकारी अपलोड करने हेतु।
3. माननीय कुलगुरुजी/कुलसचिवजी के सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव, विकास विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर प्रस्तुत कर निवेदन है कि, विषयांतर्गत सर्वसंबंधितों को आवश्यक रूप से संसूचित करने का कष्ट करें।


अधिष्ठाता,
विद्यार्थी कल्याण

F. No. 39-1/2025-CSIS
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Scholarship Division

Wing-6, West Block-1,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Dated: 28th April, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Record of discussion of the meeting held on 26.03.2025 at 11 AM regarding implementation of PM-Vidyalaxmi Scheme in 860 Quality Higher Education Institutions (QHEIs) -reg.

The undersigned is directed to forward herewith Record of discussion of the meeting held on 26.03.2025 via virtual mode at 11 AM under the Chairmanship of Chairman, UGC regarding implementation of PM-Vidyalaxmi Scheme in 860 Quality Higher Education Institutions (QHEIs), for information and necessary action.

Encl: A/a



(Sangeet Kumar)

Under Secretary (Scholarship)

Email: sangeet.kumar@nic.in

Phone: 011-20862360

To

1. Directors/Vice Chancellors of QHEIs (as per the list)
2. Shri Sanjay Srivastava, Senior Advisor, IBA with a request to circulate it to all the member banks participating in the scheme.

F. No. 39-2/2025-CSIS
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Scholarship Division

Wing-6, West Block-1,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Dated: 30th April, 2025

CORRIGENDUM

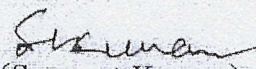
Subject: Implementation of PM-Vidyalaxmi Scheme in 860 Quality Higher Education Institutions (QHEIs)-reg.

In partial modification of this Department's Office Memorandum of even number dated 22.04.2025 on the subject cited above, the second line of the paragraph titled "*Financial Aid and Student Loans*", wherein it is stated "*education loans is available for all students*", may be replaced with "*education loans is available for all **meritorious** students.*"

2. The revised paragraph may now be read as:

The PM-Vidyalaxmi Scheme, a Government of India initiative offering collateral-free and guarantor-free education loans is available for all meritorious students who are getting admission in this Institution and who are desirous of availing education loans to pursue higher education. You can visit the portal <https://pmvidyalaxmi.co.in>. The portal does not charge any amount from the applicant. Through the portal, you can:

3. All other contents of the aforementioned Office Memorandum remain unchanged.


(Sangeet Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India

To

Directors/Vice Chancellors of all QHEIs (as per the list).

Copy To:

1. All Bureau Heads of DHE for follow up action with respect to the HEIs under their jurisdiction